

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
शुद्धि-पत्र

सं०सं०-17/विविध 1-19/2025

पटना, दिनांक:-

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-856(17) दिनांक-04.08.2025 द्वारा डा० सदफ, ट्यूटर (बॉण्ड), पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को दिनांक-16.12.2024 से 20.02.2024 तक कुल-67 दिनों का द्वितीय संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त आदेश में अंकित तिथि "दिनांक-16.12.2024 से 20.02.2024" के स्थान पर "दिनांक-16.12.2024 से 20.02.2025" पढा जाय।

3. उक्त आदेश के शेष अंश यथावत रहेगा।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/विविध 1-19/2025 - 912/17

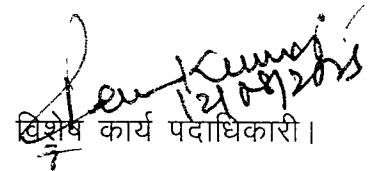
पटना, दिनांक- 12-08-25

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०मि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० सदफ, ट्यूटर (बॉण्ड), पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।